29-1-2000

234

नगरपालिका परिषद जौनपुर बोर्ड की बैठक दि० 29-1-2000 में उपस्थित माननीय सभासदों के नाम निम्नवत हैं:—

1-	हरबपुर	श्री सतीश कुमार सोनकर
2	उमरपुर	" जगदीश कुमार सोनकर
3	ईशापुर	" श्याम बिहारी सेठ
4-	हुसैनाबाद	" श्रीमती चम्पा देवी चौरसिया
5-	कटघरा	" ज्यारत हुसैन
6-	चाचकपुर	" कल्लू यादव
7-	सैला अफीन	" श्रीमती महरुन्निशा
8-	ओलन्दगंज	" गुलाब चन्द
9-	पानदरीबा	" जितेन्द्र कुमार चौरसिया
10-	मुफ्ती मोहल्ला	" वकील अहमद फारुकी
11-	ताड़तला	" कु० कुरशा खातून
12-	अबीरगढ़टोला	" मो० जावेद
13-	रुहट्टा	" श्रीमती मीरा देवी
14-	मीरमस्त	" सुजान खाँ
15-	नामित सदस्य	" राजेन्द्र प्रसाद जायसवाल
16.	" "	" श्रीमती नर्वदा देवी

(पी० पी० [illegible])
अधिशासी अधिकारी
न० पा० प० जौनपुर
29-1-2000

(सुधारानी श्रीवास्तव)
अध्यक्ष
न० पा० परिषद, जौनपुर
29-1-2000

29-1-2000

नगरपालिका परिषद जौनपुर, बोर्ड, की बैठक दिनांक 29-1-2000 को कार्यवृत्त

बैठक शुरू होने से पूर्व मा० अध्यक्ष श्रीमती संध्यारानी श्रीवास्तव ने कहा कि आज इस शताब्दी के लिए नये वर्ष के इस बोर्ड की प्रथम बैठक में आप सभी माननीय सभासद, बहनों का और मेरे बीच अधिशासी अधिकारी के रूप में उपस्थित जलकल अभियन्ता व अधिकारी कर्मचारी का हार्दिक अभिनन्दन करती हूँ तथा आज इस नये वर्ष के लिए शुभकामना ज्ञापित करती हूँ। श्री कृष्णसिंह सफाई एवं स्वास्थ्य निरीक्षक अपनी 60 वर्ष की सेवा 31-1-2000 को पूर्ण कर लेंगे, इसलिए इनके आगे भविष्य तथा परिवार के लिए अपनी तरफ से तथा बोर्ड की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि सेवा-निवृत्ति के बाद इनका जीवन सुखमय हो। साथ ही आज की बैठक की कार्यवाही शुरू करने हेतु पालिका आशुलिपिक श्री श्री मोहन यादव को निर्देशित करती हूँ।

	प्रस्ताव	निर्णय
1-	पिछली बोर्ड की बैठक दिनांक 29-10-99 को कार्यवाही वास्ते पुष्टि।	प्रस्ताव संख्या-1 पढ़ा गया। श्री वकील अहमद मंसूरी माननीय सभासद ने कहा कि सदन में उपस्थित हमारे सभासद भाई-बहनों एवं अधिकारियों कर्मचारियों का स्वागत एवं अभिनन्दन करता हूँ। जहाँ तक पिछली बैठक की कार्यवाही का प्रश्न है गत त्यौहार में पूरे नगर में सफाई व्यवस्था अच्छी हुई थी जिसके लिए जनता की ओर से पालिका को बधाई मिली है; और मैं अपनी ओर से भी आज सदन के माध्यम से बधाई देता हूँ कि मा० अध्यक्ष के नेतृत्व में ऐसा अच्छा कार्य हुआ है।

Scanned with OKEN Scanner

पिछली कई बैठकों में नगर की सड़कों के बारे में बार-बार बात उठाई गई है. और कहा गया है कि मैकडमाल्ट नहीं मिला है, और क्रय नहीं हो पाया है। मैं यह कहना चाहूँगा कि मैकडमाल्ट के अलावा और भी सामान की आवश्यकता होगी तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि अब तक क्या वह सामान उपलब्ध हो गया है, और अब तक मैकडमाल्ट क्यों नहीं मिला। इस बात को निर्माण विभाग के यहाँ उपस्थित अभियन्ता बतायें। श्री एस.पी. सिंह अवर अभियन्ता (निर्माण) ने मा० अध्यक्ष जी की अनुमति से सदन को बताया कि मैकडमाल्ट के लिए एक टैंक लेना पड़ेगा, जिसके लिए पूरा पैसा नहीं है। गिट्टी पड़ी है और उससे कार्य कराया जा रहा है। अवर अभियन्ता श्री शिव नाथ राय ने बताया कि ब्रश, ट्रे, ट्रैक्टर एवं गैंग के कम से कम 5 आदमी निरन्तर लगाना चाहिए। आगे श्री सतीश कुमार सोनकर मान्य सभासद ने कहा कि मैं आभारी होऊँगा श्री मंत्री जी का कि उन्होंने इस प्रकरण को उठाया और मुझे स्मरण हो रहा है कि पिछली बैठक में एक बड़ा है जिसमें गिट्टी मैकडमाल्ट मिलाने का कार्य होता है वह क्रय किया गया कि नहीं। आगे श्री वकील अहमद मंत्री मान्य सभासद ने कहा कि मैकडमाल्ट क्रय करने हेतु उसके दाम का पता आज तक नहीं चला इसके अलावा पूर्व बैठक में जैसा कि श्री महेन्द्र कुमार सोनकर मान्य सभासद ने एक बात उठाया था कि नगर पालिका सीमा के मैनहोल्ड पर गेट बनाया जाय, उसके लिए क्या कार्यवाही की गई कोई स्टीमेट बना है। टेलीफोन, गोमती प्रदूषण विभाग द्वारा खोदी गयी सड़कों को मरम्मत ठेकेदार द्वारा कराया जाना है तो इसमें कहाँ से विभाग को मैकडमाल्ट देने की बात है, उसके लिए ठेकेदार को नोटिस दिया जाय। मैकडम माल्ट मथुरा प्रोडक्ट से तथा अन्य विभाग से पता लिखकर मंगाया जाय।

आगे श्री वकील अहमद मंत्री, मान्य सभासद ने कहा कि मैं यह जानना चाहूँगा कि गोमती प्रदूषण विभाग एवं टेलीफोन विभाग द्वारा खोदाई का पैसा मिला कि नहीं। जैसा कि अधिशासी अधिकारी ने पूर्व में बताया था कि जो पैसा मिला था, उसे खर्च किया गया था और अब पैसा मिलेगा उसका अलग:

खाता खोलकर उसमें रखा जायेगा। प्रयास करके गोमती, टेलीफोन विभाग पर बकाया वसूला जाय और जो पैसा आवे उससे अधिक से अधिक सैकलमार्ग पहले कार्य किया जाय।

आगे श्री सतीश कुमार सोनकर मान्य सभासद ने कहा कि हर बैठक में कहाँ-कहाँ क्या बकाया है उसका लेखा जोखा हर बैठक में रखा जाय। हमारे विभाग के ए०डी०/जी०ई० व्यक्तिगत रूप से जाकर मिलें और भुगतान न मिले तो शासन को तथा उनके उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा जाय और मिलने वाला धन उसी मद में खर्च किया जाय यह मेरा सुझाव है।

इस प्रकार से प्रस्ताव सं०-1 की पुष्टि सर्वसम्मत से की गई।

2-	लेखा परीक्षक समिति के निर्णय 18-11-99 बाबत (1) माह अक्टूबर 99 का आय-व्यय लेखा-जोखा जिसे पढ़कर देखा गया तथा आय-व्यय पर समिति ने सहमति व्यक्त किया (2) समिति के समक्ष पालिका लेखाकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 99-2000 का पुनरीक्षित बजट जिसे समिति द्वारा कुछ संशोधनों के साथ स्वीकार किया गया है। उक्त दोनों प्रस्ताव परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत।	प्रस्ताव संख्या-2 पढ़ा गया। आगे श्री वकील अहमद मंसूरी मान्य सभासद ने कहा कि हम चाहेंगे कि बजट पर कोई ऐसा आदेश मा० अध्यक्ष जी करें या व्यवस्था बनायें ताकि मार्च आने तक बोर्ड की अच्छी धनराशि मिल सके और इस बोर्ड का सुधार हो सके, क्योंकि हम लोगों का कार्यकाल कम समय रह गया है। आगे पालिका लेखाकार द्वारा आय-व्यय व बजट पढ़ा गया, जिसमें शौच टैक्स मद में रु० 6,00,000/- को कम करके उसके स्थान पर रु० 5.00 लाख रखा गया है। इस प्रकार से पुनरीक्षित बजट में 1.00 लाख कम करके प्रस्ताव सर्व सम्मति से स्वीकार किया गया।
3-	जहांपुर से किदवई पार्क/टैक्सी (इक्का-तांगा स्टैण्ड) कायम करने का प्रस्ताव बोर्ड के	प्रस्ताव पढ़ा गया। श्री जगदीश कुमार सोनकर सभासद ने कहा कि मा० अध्यक्ष जी

Scanned with OKEN Scanner

समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ।

इस सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूँगा, नि:सन्देह इस प्रस्ताव को जिस किसी ने लाने का प्रयास किया है, वह बधाई के पात्र है। यह बहुत अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन इसके लिए पी० डब्लू० डी० से पुलिस विभाग तथा पुरातत्व विभाग से पहले अनापत्ति लेनी होगी, यदि अनापत्ति मिल जाती है, तो नि:सन्देह क्रियान्वयन होना मेरे विचार से अच्छा होगा। जहाँ तक किराया निर्धारित करने की बात है, सदन में और लोग हैं, जैसे कुछ लोग वाहन एक घण्टे के लिए खड़ा करते हैं और कुछ लोग दिन भर के लिए खड़ा करते हैं, उसी समय के अनुसार किराया निर्धारित करना होगा और कर्मचारी की शिफ्ट वाइज ड्यूटी लगानी होगी। जैसे 4 पहिया वाहनों 6 घण्टे का रु०5/- रुपया तथा उससे अधिक देर तक का उसका दुगुना लिया जाना तथा इसका का रु० 2/- से अधिक लिया जाना उचित नहीं होगा। जैसा कि पूर्व सिन्हा विधायक ने कहा था कि स्टैण्ड बनाया जाय।

आगे श्री कमील अहमद अंसारी माननीय सभासद ने कहा कि जैसा कि भाई जगदीश जी ने अभी इस सम्बन्ध में विचार व्यक्त किया है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहूँगा कि इसी सदन में पूर्व में एक प्रस्ताव पारित हुआ था कि नगर से गुमटियों हटाकर नगरपालिका इसी स्थान पर गुमटीनुमा दुकान बनवाकर लोगों को दे, क्या अब शहर में गुमटियाँ नहीं रह गयी हैं, जिन्हें वहाँ बनवाकर दिया जाय। नगर के आवागमन की सुविधा को देखते हुए स्टैण्ड बनाया जाना अच्छी बात है, किन्तु पूर्व में जो प्रस्ताव पारित हुआ था क्या उसके लिए कोई अतिरिक्त जगह का चयन कर लिया गया है।

जहाँ तक वहाँ स्टैण्ड लगाकर शुल्क लगाने की बात है
तो समय अनुसार शुल्क निर्धारित किया जाना होगा
लेकिन यह सारी प्रक्रिया पुलिस विभाग, पी०डब्लू०डी० विभाग
से अनापत्ति लेना होगा। यह कार्यवाही पूरी कर ली जाय
तभी अगली बैठक में प्रस्ताव पर चर्चा होगी।

आगे श्री जगदीश कुमार माननीय सभासद ने कहा
कि इस चर्चा में आये हुए एक बिन्दु की ओर ध्यान
आकर्षित करना चाहूँगा कि एक प्रस्ताव पारित हुआ
था, जिसमें गुमटियों के निर्माण करने की बात थी।
सदन में पारित प्रस्ताव का क्रियान्वयन 6 माह तक नहीं
होता है तो उसको रद्द माना जा सकता है। जैसा कि
इसमें व्यवहारिक चीज आयी है, वह सही है।

आगे श्री सतीश कुमार सोनकर माननीय सभासद
ने कहा कि जिन परिस्थितियों में यह जमीन खाली
करायी गयी है यहाँ अतिक्रमण होने के बाद खाली
करायी गयी है और ईद के बाद अभियान चलाया जायेगा।
ऐसा सुनने में आया है। मेरा कहना यह है कि कोतवाली
चौराहे के पास, ओवरब्रिज, सब्जीमण्डी के पास भी
स्टैण्ड ~~[illegible]~~ की समस्या है। इसका सर्वे करा लिया जाय।
जहाँ तक किले के पास स्टैण्ड बनाने की बात है, उसे किया
जाय, क्योंकि पक्का निर्माण में परेशानी होगी, पक्के
पर जो गाड़ियाँ, वाहन खड़ा होगा, और चला जायेगा
परमानेन्ट तौर पर गाड़ियाँ खड़ा होने पर निर्धारित
अवधि के दर के बाद के अवधि का अलग से दर
निर्धारित कर दिया जाय जिससे बोर्ड की आमदनी
आय हो सकती है और नगर में आवागमन सुचारु रूप
से हो जायेगा।

चर्चा को आगे बढ़ाते हुए माननीय सभासद श्री जगदीश
कुमार सोनकर ने कहा कि जैसा कि रेलवे स्टेशन के पास
तो यह सुविधा तो हो सकती है, लेकिन बाजार के स्टैण्ड
में समय लगा रहता है; यह प्रस्ताव एक अच्छी व्यवस्था
नागरिकों को देने की बात है और यह हो कि नगरपालिका
(बोर्ड) ने अपने कार्यकाल में एक अच्छा काम
किया है, वहाँ पर पक्का निर्माण कराने से क्या लाभ
होगा। उन्होंने अपना सुझाव दिया कि 4 पहिया
गाड़ी 1 घण्टे के लिए 4/- रु० से उससे ऊपर के

समय के लिए दुगुना दर होगा। एक्का, तांगा २ पहिया गाड़ी पर रू० २/- निर्धारित किया जायेगा। आगे श्रीमती नन्दा माननीय सभासद ने कहा कि जैसे कि नगर में और भी जगह दिखवा लिया जाय। क्योंकि नगर में ऐसी ही समस्या कई जगहों पर है वहाँ भी ऐसा प्रस्ताव पास होना चाहिए अन्त में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पहले किसी के पास स्टैण्ड कायम करने के लिए पी०डब्लू०डी०, पुलिस विभाग एवं पुरातत्व विभाग से अनापत्ति प्राप्त कर ली जाय तथा अगली बैठक में इसको लाया जाय।

4- उमरपुर कामर्शियल कॉम्प्लेक्स का बचा हुआ भाग की जमीन (निर्माण लागत को छोड़कर) क्रय किये जाने के सम्बन्ध में दूरसंचार मण्डल अभियन्ता जौनपुर का पत्र संख्या बी-10/भूमि/जौनपुर जौ०दू०सं०म०/99-2000/25 दिनांक 23-5-99 बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृति हेतु।

प्रस्ताव पढ़ा गया और सर्वसम्मति से यह पास किया गया आगे श्री इस्लाम खाँ माननीय सभासद ने कहा कि जो एक मुश्त पैसा दें उसे उमरपुर कामर्शियल कॉम्प्लेक्स की भूमि दी जाय। श्री जगदीश कुमार सोनकर माननीय सभासद ने कहा कि मैं इसमें कुछ सुझाव देता हूँ जैसा उसमें काबिज कुछ दुकानदारों को एक तरफ करके दुकान दे दिया जाय और दुकानदार इस व्यवस्था से सहमत हों तो दूरसंचार विभाग को एक तरफ अलग भूमि करके एक मुश्त पैसा जमा करवाकर उन्हें दे दिया जाय जहाँ तक निर्माण की बात है उक्त विभाग से यह अनुरोध कर लिया जाय कि उक्त भूमि पर पूर्व के निर्माण को वे स्वतः ध्वस्त करा दें और जमीन की जो कीमत है तथा वहाँ जो ईंट पत्थर व अन्य मलवे हों उसे नगर पालिका स्वतः हटा लेगी, किन्तु हटाने में जो व्यय होगा उसे भी दूरसंचार विभाग वहन करेगा। लेकिन यहाँ यह भी जानकारी कर लेनी होगी कि जो लोग उक्त दुकान में लम्बे [illegible]

हे रह रहे हैं तथा उन्हें नियमानुसार दुकान आवंटित है। तथा उनके द्वारा बराबर किराया अदा किया गया है। उपरोक्तानुसार दूरसंचार विभाग को पत्र भेजने हेतु व उनकी सहमति प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

5-	शासनादेश सं० 8911/9-7-93-सीमस/86 दिनांक 17 जून, 1993 बावत नगरपालिका की भूमि पर बनी मितव्ययी सम्पत्तियों के निस्तारण का प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष विचारार्थ एवं स्वीकृतार्थ।	प्रस्ताव पढ़ा गया। अधिशासी अधिकारी ने बताया कि पालिका भूमि पर निर्मित सम्पत्तियों के निस्तारण के सम्बन्ध में शासन की मंशा है कि अमितव्ययी सम्पत्तियों को जिनसे मासिक किराया बहुत कम मिलता है इस निर्माण के रखरखाव पर अधिक व्यय करना पड़ सकता है और निस्तारित करने पर एक मुश्त धनराशि मिल सकती है और अवस्थापना विकास निधि में जमा हो सकती है पालिका परिसर के बगल की 40 दुकानों का विधिवत प्रचार किया गया और आवंटियों से फ्री-होल्ड लेने हेतु सहमति मांगी गई इसमें से अधिकांश लोगों ने अपनी सहमति दी है शासन द्वारा अवस्थापना विकास निधि को बढ़ाये जाने के निरन्तर पत्र एवं निर्देश प्राप्त हो रहे हैं, अब तीन लाख तक की सम्पत्तियों का विक्रय का अनुमोदन

Scanned with OKEN Scanner

शासनादेश दिनांक 12-1-2000 के अनुसार सचिव से नहीं लेना पड़ेगा बल्कि आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति के माध्यम से ही निस्तारित किये जाने का शासनादेश प्राप्त है। वित्त समिति द्वारा यह प्रस्ताव पूर्व में सहमति की दशा में स्वीकृत होते हुए बोर्ड में प्रस्ताव हुआ था किन्तु दरों में कमी की सूचना का विधिवत प्रचार-प्रसार को देखकर इस मामले को ~~अभी~~ नया शासनादेश आने तक बोर्ड की बैठक दिनांक 29-10-99 में ~~[illegible]~~ स्थगित करने का निर्णय लिया गया था इस दिशा में काफी प्रयास किया गया किन्तु इस तरह का कोई शासनादेश अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका और जानकारी करने पर पता कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जी की नीतियों सम्बन्धी शासनादेश जारी नहीं हुआ है ऐसी दशा में यह प्रस्ताव शासनादेश के तहत स्वीकृत होना आवश्यक है, ताकि अवस्थापना विकास निधि में बढ़ोतरी हो सके और शासनादेश तथा बार-बार प्राप्त हो रहे निर्देशों का अनुपालन हो सके अन्त में विचारोपरान्त इस प्रस्ताव को उचित मानते हुए सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है।

29-1-2000

6- शासनादेश संख्या 5281/नौ-8-88-23ज/99 दिनांक 29 अप्रैल 1999 बाबत स्थानीय निकायों के भवनों/दुकानों के किराये पर पुनर्निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ प्रस्तुत।	प्रस्ताव पढ़ा गया। श्री वकील अहमद मंसूरी माननीय सभासद ने कहा कि प्रस्ताव में भवनों/दुकानों लिखा है, जबकि शासनादेश में स्पष्ट लिखा है कि ऐसे आवासीय भवनों के किराये पर पुनर्निर्धारण किया जाय। इसलिए इस प्रस्ताव को संशोधन के पश्चात अगली बैठक में लाया जाय।
7- प्रस्ताव माननीय सभासद श्री श्याम बिहारी सिंह बाबत शाहगंज मछली तिराहे से स्टेशन रोड को मिलाने वाली सड़क का नाम "श्री राजनारायण सिंह मार्ग" करने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद के समक्ष स्वीकृतार्थ।	प्रस्ताव संख्या 7, 8, 9 भी एक ही विषय से सम्बन्धित है, पढ़ा गया। इस पर माननीय सभासद श्री मंसूरी ने कहा कि मेरा यह सुझाव है कि जितने भी सभासद चाहते हैं, वे भी अपने-अपने क्षेत्र में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी/राजनीतिज्ञ के नाम का प्रस्ताव दें ताकि उनके क्षेत्र में भी रोड के नामकरण हो सके। नामकरण पत्रावली में यह लिखा है कि यह विभिन्न कार्यकाल में हुआ है। इस सम्बन्ध में लोग अपना-अपना प्रस्ताव एक सप्ताह के अन्दर दें। श्री जगदीश कुमार सोनकर ने कहा कि इसी सदन में एक प्रस्ताव नामकरण का पूर्व में आया था और पास हुआ था, वह है, ताड़पुर सड़क पर श्री अरविन्द मार्ग रखा जाय। जिसमें आपत्तियाँ आदि
8- प्रस्ताव श्री जगदीश कुमार सोनकर बाबत सदर कोतवाली पुलिस चौकी से पालीटेक्निक चौराहे तक सड़क का नामकरण "पूर्व अध्यक्ष नगरपालिका श्री मायाशंकर श्रीवास्तव मार्ग" करने सम्बन्धी प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष स्वीकृतार्थ।	
9- प्रस्ताव माननीय सभासद श्री जगदीश कुमार सोनकर एवं श्री वकील अहमद मंसूरी बाबत शाहगंज मड़ई से चितरसारी जाने वाले मार्ग का नाम स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी "श्री मुस्तफा हुसैन मार्ग" करने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद के समक्ष स्वीकृतार्थ।	

Scanned with OKEN Scanner

श्री रतनसिंह विधायक विदमान भी हुई की
और यह हुआ कि आयुक्त महोदय से
अनुमति ले ली जाय। श्री जगदीश कु
सोनकर मान्य सभासद ने कहा कि
जहाँ तक मुझे स्मरण है कि सड़क
नामकरण का प्रस्ताव होता है लेकि
सड़क की मरम्मत नहीं होती, जब
यह आवश्यक है। उपरोक्त सुझा
के साथ प्रस्ताव स्वीकार किया ग

10 जलकल विभागीय प्रस्ताव बावत जलकल विभाग में पड़ी निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी करने सम्बन्धी प्रस्ताव परिषद के समक्ष स्वीकृति हेतु।

प्रस्ताव पढ़ा गया। श्री सतीश
मान्य सभासद ने कहा कि य
निष्प्रयोज्य सामानों को जु
जाय, तभी नीलामी होगी। श्री
कुमार सोनकर मान्य सभासद ने
कि निष्प्रयोज्य सामानों के
और इनकी कीमतों की जानकारी ली
इस पर जलकल अभियन्ता
कि अधिशासी अभियन्ता उ
निगम को पत्र भेजा गया है
तक आंकलन आ जायेगी।
मान्य सभासद ने कहा कि
जी मेरा सुझाव है कि इस
एक कमेटी बना दी जाय
सदन सहमत होते हुए तीन
की एक कमेटी बनाने हेतु नि
अध्यक्ष जी को देने हेतु सह
मा० अध्यक्ष जी को देने है
में सर्वश्री जगदीश कुमार
ओमप्रकाश मेहरी एवं श्या
मान्य सभासद को कमेटी
नामित किया। इस प्रका
अधिशासी अभियन्ता को निर्देश दि
इसके लिए कोई तिथि नि
सदस्यों की उपस्थित का

प्रकार से यह प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

11- दशम वित्त आयोग से प्राप्त तृतीय किस्त की धनराशि मुबलिग 15,19,870/- से कराये जाने वाले कार्यों का प्रस्ताव तथा कोई अंशदान का प्राविधान किये जाने का प्रस्ताव परिषद के समक्ष अनुमोदन हेतु।

प्रस्ताव पढ़ा गया। सर्वसम्मति से स्वीकार किया गया है। मा० अध्यक्ष ने कहा कि यदि कोई माननीय सभासद अपने-अपने क्षेत्र का कोई प्रस्ताव इस सम्बन्ध में देना चाहते हो तो 2 फरवरी 2000 तक प्रस्तुत करें ताकि उनके क्षेत्र में पानी निकासी की परेशानी न हो।

12- विभिन्न कमेटियों के गठन हेतु नामांकन, नामवापसी तथा चुनाव की तिथि निर्धारित हेतु विशेष प्रस्ताव पर विचार।

प्रस्ताव पढ़ा गया। कमेटी कमेटी के चुनाव हेतु 15 फरवरी, 2000 तिथि सर्वसम्मति से निश्चित की गयी, जिसमें उसी दिन 11-बजे से नामांकन, 1 बजे से 2-बजे तक नाम वापस एवं आवश्यक हुआ तो 2-बजे से चुनाव की प्रक्रिया होगी।

अन्त में मा० अध्यक्ष ने कहा कि आज की बैठक बड़े ही अच्छे माहौल में बड़े अच्छे विचारों, सुझावों के साथ सम्पन्न हुआ, इसके लिए मैं आप सभी लोगों को हार्दिक धन्यवाद देता हूँ।

(पी.पी. सक्सेना)
अधिशासी अधिकारी
न.पा.प. जौनपुर
29-1-2000

(संध्या रानी श्रीवास्तव)
अध्यक्ष
न.पा.प. जौनपुर
29-1-2000